ओपनिंग द डोर

साभार: इंडियन एक्सप्रेस

23 नवंबर, 2017

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुनाव संयुक्त राष्ट्र के गैर-पी 5 सदस्यों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में चुनाव संयुक्त राष्ट्र के सभी गैर-पी 5 सदस्यों के लिए भारत द्वारा तैयार की गई विजय है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर चर्चा के वर्षों में एक प्रतीकात्मक क्षण है। वर्ष 2012 से आईसीजे में रहने वाले भंडारी ने 15 न्यायाधीशों की अदालत में ब्रिटेन द्वारा अपना नामांकन वापस ले लेने के बाद यह स्थान पाई है।

आईसीजे चुनाव पांच सीटों के लिए था और भंडारी एशिया के उम्मीदवार थे जिन्होंने पहले दौर में लेबनान के उम्मीदवार को हराया था। सामान्य तौर पर भंडारी और ब्रिटिश उम्मीदवार, क्रिस्टोफर ग्रीनवुड एक ही सीट के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे, लेकिन आखिरी रिक्त स्थान के लिए दोनों एक असामान्य रूप से आमने-सामने आ गये थे, जब दोनों पर्याप्त वोटों को जीतने में असफल रहे, अर्थात सुरक्षा परिषद में भंडारी और संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में ग्रीनवुड।

इसी कारण से वे आमने-सामने आये और वोटिंग कई राउंडों में हुई। जीतने के लिए एक उम्मीदवार को सुरक्षा परिषद और यूएनजीए दोनों में बहुमत हासिल करना था। इस दौड़ से ग्रीनवुड को वापस लेने का ब्रिटिश निर्णय इस संभावना पर आधारित लगता है कि उन्हें डर था कि श्री भंडारी संयुक्त राष्ट्र महासभा में दो-तिहाई वोटों से जीत सकते है।

यह पहली बार था कि पी -5 के उम्मीदवार को यूएनजीए में पर्याप्त मत नहीं मिल पाए थे और पहली बार पी -5 देश का प्रतिनिधित्व आईसीजे में नहीं किया जाएगा, यह अब तक के लिए दिया जाने वाला एक विशेषाधिकार है। यह सुरक्षा परिषद के बंद क्लब का एक स्पष्ट अभियोग है। इसके भाग में भारत ने प्रत्येक राउंड के मतदान पर यूएनजीए सदस्यों में भंडारी के लिए सही कूटनीतिक तरीको का इस्तेमाल किया, मतदान के सभी राउंड में यूएनजीए सदस्यों में भंडारी के लिए पक्ष जुटाने के लिए कड़ी मेहनत की और विदेश मंत्रालय का भी इसमें बड़ा योगदान रहा है। हालांकि, यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारतीय विजय किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता है कि भारत ने आईसीजे में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। अदालत के एक सदस्य के रूप में भंडारी भारत के हितों की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून के हैं। उम्मीद है कि आईसीजे में एक भारतीय प्रतिनिधि होने से भारत को कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान के खिलाफ मदद मिलेगी। आईसीजे के नियमों के तहत यदि एक मामले में पीठ में एक न्यायाधीश शामिल होता है जो पार्टियों में से एक का राष्ट्रीय होता है, तो अन्य एक तदर्थ जज को बेंच पर नामित कर सकते हैं। पिछले महीने, पाकिस्तान ने अपने पूर्व मुख्य न्यायाधीश, तुसादु जिलानी को आईसीजे में नियुक्त किया था। मामले को आईसीजे में ले जाने के बाद भारत को अब अपने नियमों के अनुसार खेलना होगा।

संबंधित तथ्य

क्या था पूरा मामला

- भारत के दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने दूसरे कार्यकाल (2018-2027) के लिये चुने गए हैं।
- ब्रिटेन के प्रत्याशी जज क्रिस्टोफर ग्रीनवुड और भारत के प्रत्याशी जज दलवीर भंडारी ICJ में नौ वर्ष के कार्यकाल हेतु निर्वाचन के लिये आमने-सामने थे।
- इस चुनाव के लिये न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में अलग से मतदान करवाया गया।

- ऐसा माना जा रहा था कि ब्रिटेन के अलावा सुरक्षा परिषद् के अन्य स्थाई सदस्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन ग्रीनवुड के पक्ष में हैं तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा का समर्थन दलवीर भंडारी को प्राप्त है।
- मतदान के पहले 11 दौर में भंडारी को महासभा में करीब दो तिहाई मत मिले थे, जबकि ग्रीनवुड को सुरक्षा परिषद् में लगातार नौ वोट मिल रहे थे।
- जहाँ सुरक्षा परिषद् में बहुमत ब्रिटेन को, तो वहीं महासभा में बहुमत भारत को मिलता दिखाई दे रहा था।
- इस गतिरोध को समाप्त करने के लिये सुरक्षा परिषद् और महासभा की संयुक्त बैठक का प्रस्ताव दिया गया।
- संयुक्त बैठक के प्रस्ताव से पहले वीटो पावर वाले देश ब्रिटेन के समर्थन में दिख रहे थे, लेकिन उनका यह समर्थन भी ब्रिटेन को बढ़त नहीं दिला सकता था।
- संयुक्त बैठक के प्रस्ताव के बाद वीटो पावर वाले कुछ देशों ने भी अपनी स्थिति बदली। इसका संकेत मिलते ही ब्रिटेन ने 12वें दौर के मतदान के पहले ही अपने प्रत्याशी का नामांकन वापस ले लिया।
- इस प्रकार दलवीर भंडारी को सुरक्षा परिषद् के सभी 15 मत (5 स्थायी और 10 अस्थायी) तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 में से 183 मत प्राप्त हुए और इसके साथ ही 71 वर्षों बाद पहली बार ऐसा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ब्रिटेन का कोई भी जज नहीं होगा।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है।
- इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था।
- इसका मुख्यालय (पीस पैलेस) हेग (नीदरलैंड) में स्थित है।
- इसके प्रशासनिक व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ वहन करता है।
- इसकी आधिकारिक भाषाएँ अंग्रेजी और फ्रेंच हैं।
- इसमें 15 जज होते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद् द्वारा नौ वर्षों के लिये चुने जाते हैं। इसकी गणपूर्ति संख्या (कोरम) 9 है।
- इसमें न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पाने के लिये प्रत्याशी को महासभा और सुरक्षा परिषद् दोनों में ही बहुमत प्राप्त करना होता है।
- इन न्यायाधीशों की नियुक्ति उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर न होकर उच्च नैतिक चरित्र, योग्यता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर उनकी समझ के आधार पर होती है।
- एक ही देश से दो न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं।
- इसमें पहले भारतीय न्यायाधीश डा.नगेन्द्र सिंह थे।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इसके सभी 193 सदस्य देश इस न्यायालय से न्याय पाने का अधिकार रखते हैं। हालाँकि जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है, वे भी यहाँ न्याय पाने के लिये अपील कर सकते हैं।
- न्यायालय द्वारा सभापति तथा उप-सभापति का निर्वाचन और रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती है।
- मामलों पर निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत से होता है। सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है तथा इस पर पुनः अपील नहीं की जा सकती है, परंतु कुछ मामलों में पुनर्विचार किया जा सकता है।

संभावित प्रश्न

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कार्यों और इसके उद्देश्यों की चर्चा करते हुए भारत के लिये न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में निर्वाचन के मायने को स्पष्ट करे। (200 शब्द)

Referring to the functions of the international court and its objectives, explain the meaning of the election in India to the International Court of Justice (ICJ) Dalveer Bhandari. (200 words)